



उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०-18008909715(टोल फ्री)
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 3620 / 12-1 दिनांक 21 / 06 / 2024

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल में नाण्डी-सैलसेण-मठूरगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8225 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/11204/2015)।

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2404/1जी-5057 (टिहरी सै०स्वी०अनु०), दिनांक 24.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन कर संशोधित एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/06/249/2015/एफ०सी०/1614 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है परन्तु प्रस्ताव में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1257/PO दिनांक 03-06-2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1657/1-41(IV) दिनांक 07-01-2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों में Stage-I Approval जारी की जा चुकी है किन्तु 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वर्तमान तक Stage-II Approval जारी नहीं हुई है, ऐसे प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से नई दरों पर एन०पी०वी० धनराशि जमा करवाने हेतु लिखा गया है। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2017 में प्राप्त हुई है, प्रस्ताव को 05 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप संशोधित नई दरों से निर्धारित अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे० में)	Stage-I तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० धनराशि का विवरण (रु० में)			वर्तमान में निर्धारित नई दरानुसार एन०पी०वी० धनराशि का आंकलन (रु० में)			जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि (रु० में)
			औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	
V	0.8225	28-12-2017	0.40	8,45,000	6,95,013.00	0.40	12,92,850	10,63,370	3,68,357

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि रु० मु० 3,68,357.00 कैम्पा कोष में जमा करवाते हुए, भारत सरकार के पत्रांक-8बी०/यू०सी०पी०/06/249/2015/एफ०सी०/1404 दिनांक 07.02.2024 (संलग्न) के अनुपालन में वांछित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कैम्पा कोष में जमा रु०-9,00,000 की धनराशि का संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल की प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर एवं मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-वन संरक्षक, भागरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

वनभूमि सहायक

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।